सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21/1/18

14/5/18

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2018/ 117

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

नन्दराम वगैरा बनाम ग्राम सोना देवी वगैरा व स्टेट

अपील निगरानी प्रकरण सं0 20/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
02.04.2018	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि तथाकथित वसीयत दिनांक 29.02.1996 को की गई है, लूणाराम की सोनादेवी नाम की कोई लडकी नहीं थी। सोनादेवी द्वारा फर्जी तोर पर अपने आप को लूणाराम की वारिस दिखाते हुए तथा वसीयत दिखाते हुऐ 12 बीघा रकबा अपने नाम करवा लिया है, सोना देवी थर्ड व्यक्ति है जिसे लूणाराम की भूमि में हक नहीं है। इसलिए उक्त वसीयत प्रारम्भ से शून्य है तथा कोई प्रभाव नहीं रखती है। उक्त भूमि जीवो के आधार पर लूणाराम को आवंटन हुई थी। अलॉटिड भूमि सभी पारिवारिक सदस्यों की मानी जाती है, जिस पर लूणाराम के सभी वारिसों का हक था लूणाराम को किसी एक वारिस के पक्ष में वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए वसीयत से अकेले फकीराराम को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। चक 65 एनपी के मु.न.16 के 12 बीघा कुल 37 बीघा 17 बिस्वा भूमि की वसीयत दिनांक 29.02.1996 द्वारा करवाई है। लूणाराम के नाम की 65 एन पी भूमि के वसीयत प्रकरण में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र में लूणाराम की मृत्यु 23.06.1992 को हुई है। जब लूणाराम की मृत्यु 1992 को हो चुकी है तो उसके द्वारा दिनांक 29.02.1996 को वसीयत कैसे कर दी गई। इस प्रकार साफ पता चलता है कि सोना देवी द्वारा लूणाराम की भूमि हडपने के लिए कार्यवाही की है। उक्त भूमि पर सभी वारिसों का सांझा कब्जा है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 इस भूमि को आगे बैचान करने की कोशिश कर रहे है जिससे अपीलांटस को नापूरा होने वाला नुकसान हो रहा है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व इस आशय का स्थगन दिया जाना आवश्यक है कि चक 63 एन.पी. के मु.न.16 के 12 बीघा भूमि को रहन बैय करने से बाज व ममनू रहे व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें तो श्रीमान की कृपा होगी। बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पृथमदृष्टया मामला अपीलार्थीयान के पक्ष में प्रतीत होता है क्योंकि तथाकथित वसीयत दिनांक 29.02.1996 को की गई है, जबकि वसीयतकर्ता लूणाराम की मृत्यु 23.06.1992 को हुई है। जब लूणाराम की मृत्यु 1992 हो चुकी है तो उसके द्वारा दिनांक 29.02.1996 को वसीयत कैसे की जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में है। फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को पाबन्द किया जाता है कि चक 63 एन.पी. के मु.न.16 के 12 बीघा भूमि को आगे रहन एवं बेचान/हस्तांतरण आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.04.2018 तक नहीं करें, साथ ही भूमि की यथास्थिति रखी जावें। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 16.04.2018 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

12/9/18 अभिभाषक उपस्थित। तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्रांक 3102 दि० 14/9/18 से मूल पत्रावली क्र० 6/03 प्राप्त हुई है। पत्रावली वास्ते तलबी दि० 14/11/18 को पेश हो। स्था० अधिभाषक सूचित किये जाते हैं।

14/11/18 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी .... उपस्थित ...... है। पत्रावली दिनांक 29/11/18 को पेश हो।

29/11/18 पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर राजकीय कार्य से व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 27/12/18 को पेश हो।

27/12/18 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी .... है। पत्रावली दिनांक 13/2/20 को पेश हो।

13.02.2020 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2019 पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 सोनादेवी पत्नी गणेशाराम का देहान्त 03.01.2019 को हो गया है। 90 दिन के अन्दर अपीलान्ट द्वारा पक्षकारो को (वारिसों) पक्षकार नही बनाया है, इसलिए अपील स्वतः अबैट हो चुकी है। अतः अपील अबैटमेंट के आधार पर खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। लेकिन बहस करने से मना किया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो उसमें वर्णित कारणों के मध्यनजर पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सोनादेवी पत्नी गणेशाराम का देहान्त 03.01.2019 को हो चुका है जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधिवक्ता अपीलार्थी को दिनांक 24.06.2019 को प्रार्थना पत्र की प्रति देकर सूचित किया हुआ है। अपीलार्थीगण द्वारा 8 माह का समय व्यत्ति होने पर भी पक्षकारो को पक्षकार बनाये जाने हेतु अपना जवाब पेश नहीं किया है। अपीलार्थी अबैटमेंट होने से खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपीलार्थीगण की अपील अबैट होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner